

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान
dirminority@gmail.com

क्रमांक:प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/ 2278

जयपुर, दिनांक: 30/5/19

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों हेतु प्रस्ताव आमंत्रण


अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 की अवधि में प्रदेश के अधोलिखित जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताएं आवेदन-प्रपत्र में अंकित हैं।

इच्छुक संस्थाएं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से भी निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही जमा कराये जाने है। आवेदन-प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

1. **जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:-** मु0 अजमेर, मु0 अलवर, मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 बाड़मेर, मु0 भरतपुर, मु0 भीलवाड़ा, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ़, मु0 चुरू, मु0 दौसा, मु0 धौलपुर, मु0 डूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ़, मु0 जयपुर, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनू, मु0 जोधपुर, मु0 करौली, मु0 कोटा, मु0 नागौर, मु0 पाली, मु0 प्रतापगढ़, मु0 राजसमन्द, मु0 सवाई माधोपुर, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 श्रीगंगानगर, मु0 टोंक, मु0 उदयपुर।
2. **जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:-** मु0 अजमेर, मु0 अलवर, मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 बाड़मेर, मु0 भरतपुर, मु0 भीलवाड़ा, मु0 बीकानेर, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ़, मु0 चुरू, मु0 दौसा, मु0 धौलपुर, मु0 डूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ़, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनू, मु0 करौली, मु0 नागौर, मु0 पाली, मु0 प्रतापगढ़, मु0 राजसमन्द, मु0 सवाई माधोपुर, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 श्रीगंगानगर, मु0 टोंक, मु0 उदयपुर।
3. **अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास:-** किशनगढ़बास (अलवर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामसर (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), कामां (भरतपुर), नगर (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), टिब्बी (हनुमानगढ़), संगरिया (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।
4. **अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास:-** किशनगढ़बास (अलवर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामसर (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), कामां (भरतपुर), नगर (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), टिब्बी (हनुमानगढ़), संगरिया (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित स्वयंसेवी/शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए सत्र 2019-20 की अवधि हेतु अस्थायी स्वीकृति प्रदान की जावेगी। चयनित संस्थाएं यदि अल्पसंख्यक छात्रावासों का संचालन संतोषप्रद रूप से नहीं कर पायेंगी, तो उनको छात्रावास संचालन के लिए जारी की गई स्वीकृति 15 दिवस की अवधि का नोटिस देकर निरस्त कर दी जावेगी।

संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-15.06.2019


(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक